दस रुपये TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

105

न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल महोदय, ग्वालियर म० प्र०

प्रकरण क्रं. : निगरानी- 3379/2018/ग्वालियर/भू.रा.

श्री कमलेश श्रीवास्तव अभि० द्वारा आज दि 1-6-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 7-6-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर
1-6-18

दंगल सिंह पुत्र श्री गोदन सिंह,
निवासी ग्राम चैंतूपाड़ा, तहसील डबरा,
जिला-ग्वालियर मध्य प्रदेश ---प्रार्थी

बनाम

ग्राम पंचायत चैंतूपाड़ा, द्वारा सरपंच श्रीमती
प्रेमा बाई पत्नी श्री इन्दर सिंह निवासी ग्राम
चैंतूपाड़ा, तहसील डबरा, जिला-ग्वालियर म.प्र.
---प्रतिप्रार्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा- 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय डबरा के अपील प्रकरण क्रमांक- 47/17-18/अपील व उनमान ग्राम पंचायत बनाम दंगल सिंह में पारित आदेश दिनांक 22.5.2018 जिसके द्वारा रेस्पोंडेन्ट का आवेदन पत्र धारा-5 मर्यादा अधिनियम स्वीकार किया गया है।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3379/2018/ग्वालियर/भू.रा. [देवालसिंह / ग्यारसीलाल]

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19.06.2018	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी, डबरा के आदेश दिनांक 22.05.2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो इस्तहार का प्रकाशन किया गया है और न ही अनावेदक कोई सूचना दी गई, जबकि वह आवश्यक पक्षकार है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाले गये उपरोक्त निष्कर्ष विधिसंगत हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	